न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 181/2025

अनवान :

1. राजेन्द्र राठौड़ पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी गढड़ा तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
2. सत्यपालसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
3. सवाईसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
4. एसबीआई शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबंधक शाखा भिरानी।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनिवाल **: वादी**

वकील श्री अर्जुन बैंनिवाल **: प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक : 29.08.25**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गढ़ड़ा के खाता सं0 73/87 के खसरा संख्या 33/1 की 4.8245 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है।वादभूमि पहले वादी के दादा भंवरसिंह की खातेदारी हुआ करती थी जो भंवरसिंह के देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 को महज कर्ता खानदान होने के चलते प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया जाने पर तनकी की आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में राजेन्द्र राठौड़ पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी गढड़ा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा गढड़ा खाता संख्या 73/87 संवत 2075—2078 प्रदर्श 1, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढड़ा प्रदर्श 2, अदेय प्रमाण पत्र भारतीय स्टेट बैंक शाखा भिरानी प्रदर्श 3, [illegible] खसरा गिरदावरी गढड़ा संवत 2070 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:46:44 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

Scanned with CamScanner

प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम गढ़ड़ा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा गढ़ड़ा के खाता सं0 73/87 के खसरा संख्या 33/1 की 4.8245 है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिंह अकेले की बजाय वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावे। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गढ़ड़ा के खाता सं0 73/87 के खसरा संख्या 33/1 की 4.8245 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिंह अकेले की बजाय वादी राजेन्द्र राठौड़ तथा प्रतिवादी सख्या 1 प्रतापसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 सत्यपालसिंह व प्रतिवादी संख्या 3 सवाई सिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:46:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSca

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 181/2025

अनवान :

1. राजेन्द्र राठौड़ पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी गढड़ा तहसील भादरा।

:– **वादी**

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
2. सत्यपालसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
3. सवाईसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
4. एसबीआई शाखा भिरानी जरिये शाखा प्रबंधक शाखा भिरानी।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गढ़ड़ा के खाता सं0 73/87 के खसरा संख्या 33/1 की 4.8245 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 प्रतापसिंह अकेले की बजाय वादी राजेन्द्र राठौड़ तथा प्रतिवादी सख्या 1 प्रतापसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 सत्यपालसिंह व प्रतिवादी संख्या 3 सवाई सिंह को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.08.25...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Nidhi

(निधि उड़सरिया)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.09.04 13:46:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamSca